[2019] 2 एस. सी. आर. 199

अंजलि भारद्वाज और अन्य

वी.

भारत और अन्य का संघ

(2018 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 436)

15 फरवरी, 2019

[ए. के. सिकरी और एस. अब्दुल नजीर, जे. जे.]

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005:

एसएस। 7 , 19 , 12 (5) और 13 (5)-प्रभावी कार्यान्वयन

अधिनियम-यू/आर्ट के तहत रिट याचिका दायर करके माँगा गया। 32 संविधान का

-

यह आरोप लगाते हुए कि केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) और राज्य सूचना आयोगों (एस. आई. सी.) में समय पर सूचना आयुक्तों की रिक्तियों को नहीं भरने से अधिनियम के कामकाज में बाधा आती है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलों और शिकायतों का भारी बैकलॉग होता है-यह भी आरोप लगाया गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) और राज्य सूचना आयोगों (एस. आई. सी.) की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी थी।

सूचना आयुक्त-यह मांग की गई थी कि जिन नियमों और शर्तों पर नियुक्तियां की जानी हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

आयोजित किया गयाः सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो प्रवाहित होता है

कला से। 19 (1) (क) और 21-सूचना के अधिकार और सुशासन के बीच एक निश्चित संबंध है।

एक स्वस्थ लोकतंत्र का कार्यकरण-रिक्तियों को भरने में अनुचित देरी हुई है-उत्तरदाताओं को बिना किसी देरी के रिक्तियों को भरने का निर्देश दिया जाता है-जहां तक नियुक्ति में पारदर्शिता का संबंध है, सभी राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई प्रणाली का पालन करने का निर्देश दिया जाता है, ताकि वेबसाइट पर सभी आवश्यक जानकारी दी जा सके-हालांकि नियम और शर्तें

नियुक्ति एस में प्रदान की जाती है। 13 (5) , उचित होगा कि

विज्ञापन में नियुक्ति के नियम और शर्तों को निर्दिष्ट करें और इसे वेबसाइट पर भी डालें-सूचना आयुक्तों की नियुक्ति अधिनियम में उल्लिखित अन्य धाराओं से भी की जानी चाहिए और यह केवल सरकारी कर्मचारियों/पूर्व सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1. सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है

और अनुच्छेद 19 (1) (ए) से आता है, जो बोलने के अधिकार की गारंटी देता है।

इस अधिकार का पता अनुच्छेद 21 से भी लगाया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। पारदर्शिता काम करने की कुंजी है

एक स्वस्थ लोकतंत्र। [पैरा 10] [210-जी-एच, 211-ए]

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम। राज नारायण (1975) 4 एससीसी 428: [1975] 3 एससीआर 333; एस. पी. गुप्ता बनाम के अध्यक्ष

भारत और अन्य (1981) पूरक एस. सी. सी. 87: (1982)

इसके बाद एस. सी. आर. 365 आया।

रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम इंडियन एक्सप्रेस अखबार, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के मालिक

(1988) 4 एससीसी 592: [1988] 3 पूरक। एस. सी. आर. 212; भारत संघ और एक अन्य v. एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक

सुधार (2002) 5 एस. सी. सी. 295: [2002] 3 एस. सी. आर. 696; भारतीय रिजर्व बैंक बनाम। जयंतीलाल एन. मिस्त्री (2016)

एससीसी 525 [2015] 14 एससीआर 505-पर निर्भर

एल्विन टॉफलर का लेख जिसका शीर्षक है "हमारा भविष्य क्या होगा?

जैसे? " संदर्भित किया गया है

2. सूचना का अधिकार, न केवल नागरिकों का एक संवैधानिक अधिकार है, बल्कि अधिकार के रूप में एक कानून भी है

सूचना अधिनियम (आर. टी. आई.) जो लोगों को सूचना के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम की प्रस्तावना इस लोकतांत्रिक अधिकार के महत्व को दर्शाती है। [पैरा 19] [215-बी]

3. सूचना के अधिकार और सुशासन के बीच एक निश्चित संबंध है। वास्तव में आर. टी. आई. अधिनियम ही इस बात पर जोर देता है

सुशासन पर और यह स्वीकार करता है कि यह उन उद्देश्यों में से एक है जिन्हें उक्त अधिनियम प्राप्त करना चाहता है। आर. टी. आई. अधिनियम से पता चलेगा कि सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक चार प्रमुख तत्व/उद्देश्य हैंः (i) सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता; (ii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचित नागरिक;

(iii) सरकार की जवाबदेही और प्रदर्शन में सुधार; और (iv) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार में कमी। [पैरा 18] [214-जी-एच, 215-ए] 4. इस आर. टी. आई. अधिनियम में विभिन्न प्रावधान हैं जिन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किया गया है कि सूचना का अधिकार लागू हो जाए।

एक वास्तविकता। यह एक स्व-निहित कानून है, जो एक इस संबंध में व्यापक रूपरेखा। [पैरा 20] [215-डी]

5. यह सही है कि रिक्तियों को भरने में अनुचित देरी हुई है। यह उम्मीद की जाती है कि रिक्तियां होंगी भरें, भविष्य में, समय पर।

[पैरा 34] [226-एफ] अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ

6.1 भारत संघ की स्थिति रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्रिया अब पर्याप्त रूप से पारदर्शी है। द.

कार्मिक आ प्रशिक्षण विभाग वेबसाइट पर राखि देलक अछि।

इन पदों के लिए आवेदकों के नाम, खोज समिति के सदस्यों के नाम, खोज समिति के लिए एजेंडा, खोज समिति के कार्यवृत्त आदि के संबंध में जानकारी। खोज समिति द्वारा अपनी सिफारिशें भेजने के बाद, चयन समिति को अंतिम चयन करना होता है। चयन समिति की संरचना अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रदान की गई है जिसमें शामिल हैं: ((i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा; (ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता; (iii) केंद्रीय कैबिनेट मंत्री जिसे प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाएगा। इस प्रकार सांविधिक समिति में,

बहुत उच्च श्रेणी के व्यक्ति। [पैरा 35] [226-जी-एच, 227-ए-बी]

6.2 इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि

नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता, जब सभी आवश्यक हों प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में जानकारी बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराई जाती है। खोज समिति के सदस्यों के संबंध में जानकारी, उनकी बैठकों का एजेंडा और यहां तक कि खोज समिति के कार्यवृत्त को भी वेबसाइट पर डाल दिया गया है।

अंततः की गई नियुक्तियाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं। [पैरा 36] [227-सी]

7.1 जैसा कि एस से स्पष्ट है। 12 (5) आर. टी. आई. अधिनियम का कोई भी व्यक्ति

कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जन माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्टता मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए योग्य है या

सूचना आयुक्त। विधायिका अपने विवेक में

इसे केवल सेवारत या सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रखते हुए विचार के क्षेत्र का विस्तार किया। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पात्र बनाया जाता है। ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है क्योंकि यह कानून या विज्ञान और प्रौद्योगिकी या समाज सेवा या प्रबंधन या पत्रकारिता या मास मीडिया या प्रशासन और शासन में हो सकता है। इस प्रकार, संसद का इरादा था कि सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को मुख्य सूचना आयुक्त के साथ-साथ सूचना आयुक्त के रूप में भी लिया जाना चाहिए। उपरोक्त मानदंडों में फिट होने वाले कई व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालाँकि, वे व्यक्ति जो [2019] 2 एस. सी. आर.

सेवा, अर्थात, वे सरकारी कर्मचारी हैं। यह समझना मुश्किल है कि केवल एक श्रेणी से संबंधित व्यक्ति हमेशा अन्य श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक उपयुक्त पाए जाते हैं। वास्तव में, खोज समिति भी जो व्यक्तियों को सूचीबद्ध करती है, केवल नौकरशाहों से बनी होती है। इन कारणों से, चयन प्रक्रिया में अपने स्वयं के वर्ग के पक्ष में आधिकारिक पूर्वाग्रह बहुत अधिक है। [पैरा 39] [227-एफ-एच, 228-ए-बी] 7.2 जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी समान रूप से उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं जो ऐसे पदों के लिए इच्छुक हो सकते हैं। इसलिए यह न्यायालय भविष्य में खोज समिति को अन्य श्रेणियों से भी उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार, उपयुक्तता की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का उद्देश्य अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देकर सी. आई. सी. में सदस्यों को शामिल करना था। यह सी. आई. सी. की संरचना में व्यापक प्रतिनिधि चरित्र सुनिश्चित करेगा। [पैरा 40] [228-सी-डी]

8. जहाँ तक शिकायत है कि आमंत्रित करते समय विज्ञापन में सेवा की कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं की गई थी

सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन

संबंधित, यह एस में प्रावधान से स्पष्ट है। 13 (5) अधिनियम का कि कोई भी उम्मीदवार जो प्रमुख बनने की आकांक्षा रखता है

सूचना आयुक्त को पता है कि वेतन और भत्ते क्या होंगे और सेवा के अन्य नियम और शर्तें क्या होंगी। साथ ही, यह हमेशा सलाह दी जाती है कि नियमों और शर्तों का स्पष्ट निर्धारण किया जाए सार्वजनिक सूचना/अधिसूचना में और वेबसाइट पर भी सेवा। [पारस 41 और 42] [228-ई, 229-ई]

9.1 पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दिए गए आंकड़ों से पता चल सकता है कि लंबित मामलों में कमी आई है। लेकिन फिर भी यह

बहुत अधिक और पलायन की दर धीमी है। इससे अधिक और क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामलों का फैसला लंबे समय के बाद किया जा सकता है। इसलिए, एक एस. सी. आई. सी. और दो सूचनाओं की ताकत

आयुक्त अपर्याप्त हैं और इसमें आवेदकों द्वारा जानकारी मांगने के उद्देश्य को विफल करने के लिए निविदा है। यह भी वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब

आवेदक अपनी अपीलों या शिकायतों का निपटारा न करने के कारण लंबे समय तक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, वे जानकारी लेने या अपने आर. टी. आई. को आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित या हतोत्साहित होते हैं। अनुप्रयोग।

[पैरा 46] [230 डी-एफ] अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ

9.2 सूचना के अधिकार के उद्देश्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

एस. आई. सी. में सूचना आयुक्तों की पूरी तरह से अपर्याप्त संख्या होने से निराश होना। यह अधिनियम सरकार को एक एस. सी. आई. सी. और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों के साथ एस. आई. सी. बनाने में सक्षम बनाता है। अतः यह वैधानिक हो जाता है और

अपीलों और शिकायतों के त्वरित और त्वरित निपटान के लिए पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्त रखना राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है। इसलिए राज्य सरकार को तुरंत और पद सृजित करने पर विचार करना चाहिए।

सूचना आयुक्तों का। यह सुझाव दिया जाता है कि कम से कम तीन और ऐसे पद बनाए जाने चाहिए। [पैरा 47] [230-जी-एच]

सूचना आयुक्त। आंध्र राज्य का एस. आई. सी. प्रदेश अभी तक कार्यात्मक नहीं हुआ है। 10 महीने से अधिक समय से, लोग

आंध्र प्रदेश एस. आई. सी. के अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने के लिए आर. टी. आई. अधिनियम के तहत निर्धारित स्वतंत्र अपीलीय तंत्र का कोई सहारा नहीं लिया गया है और उनके सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।

इसके बाद तीन सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई है। [पारस 48 और 49] [232-सी, डी] 10.2 एस. सी. आई. सी. के पद को भरने के लिए कदम नहीं उठाए गए हैं क्योंकि प्रमुख, जो आयोग के प्रमुख हैं, कार्य करते हैं।

जहाँ तक एस. आई. सी. के कार्यों का संबंध है, महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसार, एस. आई. सी. के मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और प्रबंधन एस. सी. आई. सी. में निहित है। इस प्रकार, इसे भरने में एक बहुत ही अभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया था।

डाक और आंध्र प्रदेश एस. आई. सी. मई 2017 से वस्तुतः गैर-कार्यात्मक है। हो सकता है कि हाल ही में नियुक्त किए गए तीन सूचना आयुक्तों के साथ, आंध्र प्रदेश एस. आई. सी. सक्रिय हो जाएगा, लेकिन सीमित सीमा तक। हालाँकि, यह शायद ही उद्देश्य को पूरा करता है और एस. आई. सी. को पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं बनाता है। इसलिए, न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य को एस. सी. आई. सी. के पद और एस. सी. आई. सी. के शेष पदों को भरने के लिए प्रभावित करता है। इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में सूचना आयुक्त। [पैरा 50 और 51] [232-जी-एच, 232-ए-बी] [2019] 2 एस. सी. आर.

11. केवल एस. सी. आई. सी. और एक सूचना आयुक्त के साथ तेलंगाना एस. आई. सी. की संरचना बहुत अपर्याप्त है।

विचाराधीनता और मासिक/वार्षिक आधार पर दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या भी। यदि पर्याप्त संख्या में जानकारी है

आयुक्तों की नियुक्ति नहीं की जाती है, विचाराधीनता बनी रहेगी

बढ़ रहा है और बढ़ रहा है। इसलिए तेलंगाना एस. आई. सी. के उचित कामकाज के लिए कम से कम चार और जानकारी होनी चाहिए। आयुक्तों की नियुक्ति की गई, अभी के लिए। [पैरा 54] [232-एफ-एच]

12. महाराष्ट्र राज्य में 2 जानकारी

केवल नवंबर 2018 में खाली हो गया। यह उम्मीद की जाती है कि पहले से ही कदम उठाए जाएं ताकि ऐसे पदों को तुरंत भरा जा सके जब वे खाली हो जाते हैं और वे लंबे समय तक खाली नहीं रहते हैं। विचाराधीनता को देखते हुए, जो बहुत बड़ी है, यह उचित होगा यदि इस समय एस. आई. सी. की कुल संख्या 1 है।

एस. सी. आई. सी. और 10 सूचना आयुक्त। [पैरा 57] [283-एफ-जी]

13. गुजरात राज्य के संबंध में, यह उम्मीद की जाती है कि दोनों पद एक महीने के भीतर भर दिए जाएँगे। [पैरा 58] [234-बी] 14. केरल राज्य एस. आई. सी. एकल आयुक्त यानी सी. एस. आई. सी. के साथ काम कर रहा है। 5 सूचना के रिक्त पद

आयुक्त खाली रहते हैं। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 21 अक्टूबर, 2017 तक लगभग 14,000 अपीलें और शिकायतें आयुक्त के पास लंबित थीं। न्यायालय को उम्मीद है कि राज्य सरकार समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करेगी

भविष्य में आयोग। [पैरा 59 और 60] [234-सी-एफ]

15. यह चयन समिति पर लागू होता है कि -

1 सी. एस. आई. सी. और 10 सूचना आयुक्तों की पूर्ण संख्या के साथ कार्य करना और न्यायालय तदनुसार अनुशंसा करता है। यह सिफारिश पर विचार किया जाए और उस पर एक महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। इसके बाद, इस निर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू और पूरी की जानी चाहिए। [पारस 62 और 63] [235-ए-सी] अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ

16. ओडिशा एस. आई. सी. याचिका दायर करने की तारीख तक प्रमुख सहित 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा था, जबकि 31 अक्टूबर, 2017 तक 10000 से अधिक अपील और शिकायतें लंबित थीं। सूचना का एक पद

आयुक्त 27 मई, 2015 से खाली पड़े हैं। यह उम्मीद की जा रही है

कि उक्त पदों को दो महीने के भीतर भरा जाए। अधिक सूचना आयुक्तों की आवश्यकता है और शुरुआत करने के लिए, सूचना आयुक्तों के कम से कम तीन और पद बनाए जाने चाहिए। इसलिए राज्य सरकार को तुरंत सूचना आयुक्तों के और पद सृजित करने पर विचार करना चाहिए।

[पारस 64 और 65] [235-डी, ई-एफ, जी-एच]

17. नागालैंड एस. आई. सी. सितंबर, 2017 से एस. सी. आई. सी. के बिना काम कर रहा है। राज्य सरकार तत्काल कदम उठाएगी

उक्त पदों को भरने के लिए, ताकि आज से छह महीने के भीतर पदों को भरा जा सके। [पैरा 66] [236-बी]

18. जहां तक सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता का संबंध है, दिए गए निर्देशों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा, केंद्र सरकार अब विज्ञापन जारी करने सहित सभी आवश्यक जानकारी दे रही है,

वेबसाइट पर रसीद और आवेदन, आवेदकों का विवरण, चयन समिति की संरचना आदि। सभी राज्य इस प्रणाली का पालन करेंगे। [पैरा 67 (i)] [236-सी-डी]

19. जहां तक नियुक्ति के नियमों और शर्तों का संबंध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 13 (5) में कहा गया है कि सी. आई. सी. और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति इस पर की जाएगी -

मुख्य चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त पर लागू होने वाले नियम और शर्तें। साथ ही, यह भी उचित होगा यदि उक्त नियम और शर्तें

इस तरह की नियुक्तियां विज्ञापन में विशेष रूप से निर्धारित की जाती हैं और वेबसाइट पर भी डाली जाती हैं। [पैरा 67 (ii)] [236-E-F] 20. खोज समिति के लिए यह भी उचित होगा कि वह उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के मानदंडों को सार्वजनिक करे, इसलिए

यह सुनिश्चित किया जाए कि वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर चयन किया जाए। [पैरा 67 (iii)] [236-एफ-जी]

21. सूचना आयुक्तों की भी नियुक्ति की जानी चाहिए।

अन्य धाराओं से, जैसा कि अधिनियम में उल्लेख किया गया है और चयन केवल सरकारी कर्मचारी/पूर्व सरकारी [2019] 2 एस. सी. आर. तक सीमित नहीं है।

कर्मचारी। इस संबंध में, प्रत्यर्थी भारत संघ बनाम नमित शर्मा मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों पर भी विचार करेंगे और उनका पालन करेंगे। [पैरा 67 (iv)] [236-जी-एच, 237-ए]

* भारत संघ बनाम। नमित शर्मा (2013) 10 एससीसी 359:

[2013] 13 एस. सी. आर. 96-पर निर्भर

22. उत्तरदाताओं को भविष्य में रिक्तियों को भरना चाहिए,

बिना किसी देरी के। इस उद्देश्य के लिए, यह उचित होगा कि किसी विशेष रिक्ति को भरने की प्रक्रिया उस तारीख से 1 से 2 महीने पहले शुरू की जाए जिस दिन रिक्ति होने की संभावना है ताकि रिक्ति होने के बीच अधिक समय न लगे।

और उक्त रिक्ति को भरना। [पैरा 67 (वी)] [237-एफ-एच]

मामला कानून संदर्भ

[1975] 3 एससीआर 333

पीछा किया।

पै

रा 10

[1982] एससीआर 365

पीछा किया।

पै

रा 11

[1988] 3 पूरक। एससीआर 212

उस पर भरोसा करें

पै

रा 12

[2002] 3 एससीआर 696

उस पर भरोसा करें

पै

रा 13

[2015] 14 एससीआर 505

उस पर भरोसा करें

पै

रा 14

[2013] 13 एससीआर 96

उस पर भरोसा करें

पै

रा 67

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

436 2018 का

भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत

प्रणव सचदेवा, राहुल गुप्ता (प्रशांत भूषण के लिए), अधिवक्ता।

याचिकाकर्ताओं के लिए।

सुश्री पिंकी आनंद, सुश्री माधवी दीवान, एएसजी, सुश्री पूजा धर,

राजेश रंजन, अरविंद कुमार शर्मा, गुंटूर प्रभाकर, सुश्री प्रेरणा सिंह, प्रसेंट माथुर, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, सुश्री उर्मिला कर पुरकायस्थ, पी. वेंकट रेड्डी, प्रशांत त्यागी (मेसर्स वेंकट पलवई लॉ एसोसिएट्स के लिए), सुश्री हेमंतिका वाही, सुश्री जेसल वाही, सुश्री पूजा सिंह, सुश्री विशाखा, सुश्री पारुल लूथरा, जी. प्रकाश, जिष्णु एम. एल., श्रीमती प्रियंका प्रकाश, श्रीमती बीना प्रकाश, वी. एन. रघुपति, परीक्षित पी. अंगड़ी, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, अंकित अग्रवाल, सुश्री दीपा एम. कुलकर्णी, निशांत राम। उत्तरदाताओं के लिए।

अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे.

1. यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक जनहित याचिका के रूप में दायर की गई है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (जिसे इसके बाद 'आर. टी. आई. अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्रभावी कार्यान्वयन के उद्देश्य से दायर किया गया है ताकि नागरिकों के सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के मौलिक अधिकार सुरक्षित हों। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत, केंद्रीय सूचना आयोग (संक्षेप में, 'सी. आई. सी.') और राज्य सूचना आयोगों (संक्षेप में, 'एस. आई. सी.') को अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए वैधानिक निकायों के रूप में बनाया गया है।

आर. टी. आई. कानून का पालन न करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के खिलाफ। उस आधार पर, याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आर. टी. आई. अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन संस्थानों का उचित रूप से काम करना आवश्यक है। के अनुसार

याचिकाकर्ता, न तो सी. आई. सी. के संबंध में केंद्र सरकार और न ही एस. आई. सी. के संबंध में राज्य सरकार, आयुक्तों की नियुक्ति के लिए रिक्तियों को समय पर भर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप आर. टी. आई. अधिनियम की कार्यप्रणाली बाधित हो जाती है। यह देश भर के कई आयोगों में अपीलों और शिकायतों के भारी बैकलॉग का कारण बन रहा है। इस प्रकार, याचिका का ध्यान संबंधित सरकारों को इस बात के लिए प्रेरित करना है कि वे ऐसी रिक्तियों को बिना किसी देरी के भरें।

2. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि आर. टी. आई. अधिनियम एक समयबद्ध कानून है और इसमें प्रावधान करने के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित की गई है।

जानकारी। जब वह प्रदान नहीं किया जाता है, या आवेदक व्यथित होता है

प्राप्त प्रतिक्रिया की प्रकृति से, वह नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के साथ पहली अपील दायर करने का भी हकदार है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ऐसी अपील का अधिकतम 45 दिनों की अवधि के भीतर निपटारा करने के लिए बाध्य है। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 7 और 19 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि आर. टी. आई. अधिनियम प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक समयबद्ध कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में गारंटीकृत सूचना के मौलिक अधिकार का प्रयोग करना। हालांकि, सी. आई. सी. और एस. आई. सी. जो आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं, और अधिनियम के संरक्षक हैं, लंबित अपीलों के संचय के कारण अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने में कई महीने, और कुछ मामलों में वर्षों तक का समय ले रहे हैं।

शिकायतें। इस तरह की देरी का मुख्य कारण पूरे भारत में एस. आई. सी. में बड़ी संख्या में रिक्तियां हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. याचिका में कहा गया है कि मार्च, 2018 में 'सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड' शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी।

भारत ने पाया कि आठ सूचना आयोगों के पास अपील/शिकायत की सुनवाई के लिए एक साल से अधिक का प्रतीक्षा समय था, जिसकी गणना लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या के आधार पर की गई थी।

31 अक्टूबर, 2017 तक और मासिक निपटान दर। इसके अलावा, कई सूचना आयुक्त इस प्रकार की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं आयोग जो कानून के जटिल प्रश्नों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठों के गठन का निर्णय लेने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त की शक्ति के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की अपनी क्षमता सहित अपने सुचारू कामकाज में बाधा डालता है। सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर नहीं भरने से केंद्र और राज्य सरकारें सूचना आयोग के उद्देश्य को ही विफल कर रही हैं।

आर. टी. आई. अधिनियम समयबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना कानून का सार है।

4. जहाँ तक सी. आई. सी. की रिक्ति की स्थिति और कार्यभार का संबंध है

एस. आई. सी. के संबंध में याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित जानकारी दी हैः

5. याचिका दायर करने की तारीख तक, सी. आई. सी. में सूचना आयुक्तों के चार पद खाली पड़े थे। 23, 500 से अधिक अपीलें

6. विभिन्न एस. आई. सी. के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने न केवल उसमें लंबित अपीलों और शिकायतों के बैकलॉग का उल्लेख किया है, बल्कि रिक्ति की स्थिति का भी उल्लेख किया है। यह भी रेखांकित किया जाता है कि हालांकि आर. टी. आई. अधिनियम के अनुसार एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होने चाहिए, लेकिन अधिकांश राज्यों ने आयुक्तों की संख्या बहुत कम रखने का फैसला किया है, जो फिर से प्रभावित कर रहा है। काम का बोझ। याचिका में किए गए ऐसे कथनों का विवरण देना आवश्यक नहीं है क्योंकि प्रत्येक एस. आई. सी. के साथ व्यवहार करते समय इस पर ध्यान दिया जाएगा।

7. याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति में पारदर्शिता की कमी है जैसा कि केंद्र सरकार के साथ-साथ विभिन्न राज्य सरकारों के पास एल. आई. भारद्वाज और ओ. आर. एस. v है।

भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]सूचना आयुक्तों की चयन सूची, नियुक्ति और नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया अपनाना। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, किराये की इस कमी के कारण कई याचिकाएं दायर की गई थीं।

इन नियुक्तियों को चुनौती देने वाली विभिन्न अदालतें।

8. उपरोक्त प्रकृति के कथनों के आधार पर,

उन्होंने निम्नलिखित प्रार्थनाएँ की हैं:

तरीके से। बी. आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।

महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, ओडिशा और तेलंगाना राज्य सरकारों को नियुक्ति के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश

मुख्य राज्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त

जानकारी के लिए चयन प्रक्रिया शुरू करें प्रमुख सहित आयुक्त, रिक्ति होने से कम से कम तीन महीने पहले।

घ. मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्तों की संक्षिप्त सूची और चयन से संबंधित विचार-विमर्श और तर्कसंगत मानदंडों के सभी अभिलेखों को सुनिश्चित करने के लिए भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए आदेश पत्र या कोई अन्य उपयुक्त आदेश जारी करें। ठीक से दर्ज किया गया और नागरिकों को उपलब्ध कराया गया

आर. टी. आई. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप। ई. परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें।

भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को चयन का एक उपयुक्त और पारदर्शी तरीका विकसित करने का निर्देश देना। मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना

अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आयुक्त।

एफ. भारत संघ और सभी राज्य सरकारों को निर्देश देते हुए परमादेश या कोई अन्य उपयुक्त रिट जारी करें -

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना:

ए। योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन प्रकाशित करना।

बी। वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक रूप से नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड का खुलासा करना

सूचना आयुक्त/प्रमुख।

सी। वेबसाइट के माध्यम से, उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए प्रक्रिया और तर्कसंगत मानदंडों का सार्वजनिक रूप से खुलासा करना, यदि कोई शॉर्टलिस्ट किया जाता है।

डी। वेबसाइट के माध्यम से, स्क्रीनिंग/खोज समिति की बैठकों की रचना, आदेश और कार्यवृत्त सहित सार्वजनिक रूप से खुलासा करना

स्थापित करें।

ई. सार्वजनिक रूप से लघु-सूचीबद्ध लोगों के नामों का खुलासा करना

उम्मीदवार ताकि लोग चयन समिति को ऐसे किसी भी उम्मीदवार के बारे में कोई भी महत्वपूर्ण प्रतिकूल जानकारी दे सकें।

जी. ऐसी अन्य रिट, निर्देश या आदेश जारी करें, जिसे यह माननीय न्यायालय तथ्यों और परिस्थितियों के तहत उपयुक्त समझे।

मामला "।

9. याचिका में, भारत संघ को प्रतिवादी संख्या 1 के रूप में प्रस्तुत किया गया है। उत्तरदाता सं। 2 इनमें से 9 राज्य हैं-पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, कर्नाटक, गुजरात और तेलंगाना। इस याचिका का नोटिस प्रत्यर्थियों को दिए जाने के बाद, भारत संघ के साथ-साथ राज्य सरकारों ने लंबित होने की स्थिति और पदों को भरने के लिए उठाए गए कदमों को बताते हुए अपना जवाब दाखिल किया। हम प्रत्येक राज्य के संबंध में जमीनी वास्तविकताओं को देखते हुए प्रत्येक उत्तरदाता के मामले को अलग-अलग उठाएंगे। इनमें से प्रत्येक उत्तरदाता के बारे में चर्चा शुरू करने से पहले, आर. टी. आई. अधिनियम के कुछ प्रावधानों और उनके महत्व पर ध्यान देना आवश्यक होगा, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विभिन्न निर्णयों में उजागर किया गया है।

10. आर. टी. आई. अधिनियम के अधिनियमन से बहुत पहले, जो वर्ष 2005 में कानून की पुस्तक में आया था, इस न्यायालय ने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि

लोगों का सूचना का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) का एक पहलू होना। यह माना गया है कि सूचना का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और यह अनुच्छेद 19 (1) (ए) से आता है, जो बोलने के अधिकार की गारंटी देता है।

इस अधिकार का पता अनुच्छेद 21 से भी लगाया गया है जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। अंजली भारद्वाज और ओ. आर. एस. बनाम घोषित करने वाले कई निर्णय हैं।

कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के काम करने के लिए पारदर्शिता महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश राज्य के मामले में v. राज नारायण ', इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया किः

" हमारी जैसी जिम्मेदार सरकार में, जहां जनता के सभी एजेंटों को अपने आचरण के लिए जिम्मेदार होना चाहिए, कुछ ही रहस्य हो सकते हैं। इस देश के लोगों को हर सार्वजनिक कार्य, सब कुछ, जो उनके सार्वजनिक कार्यकर्ताओं द्वारा सार्वजनिक तरीके से किया जाता है, को जानने का अधिकार है। वे प्रत्येक सार्वजनिक लेन-देन के विवरण को उसके सभी प्रभावों में जानने के हकदार हैं।

जानने का अधिकार, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अवधारणा से लिया गया है, हालांकि निरपेक्ष नहीं है, एक ऐसा कारक है जो

किसी को सावधान करना चाहिए, जब गोपनीयता का दावा किया जाता है

ऐसे लेन-देन जिनका किसी भी दर पर कोई असर नहीं हो सकता है सार्वजनिक सुरक्षा। पर्दा गोपनीयता के साथ आम नियमित व्यवसाय को छिपाना जनता के हित में नहीं है।

11. एस. पी गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति और अन्य 2, इस न्यायालय की सात न्यायाधीशों की पीठ ने इस संबंध में निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

सूचना का अधिकारः ..... एक खुली सरकार की अवधारणा जानने के अधिकार से प्रत्यक्ष रूप से उत्पन्न होती है जो अनुच्छेद के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित प्रतीत होती है।

19 (1) (ए)। इसलिए, सरकार के कामकाज के संबंध में जानकारी का प्रकटीकरण नियम और गोपनीयता होनी चाहिए।
अपवाद केवल वहीं उचित है जहां सार्वजनिक हित की सख्त आवश्यकता की मांग की जाती है। अदालत का दृष्टिकोण सार्वजनिक हित की आवश्यकता के साथ लगातार गोपनीयता के क्षेत्र को यथासंभव कम करना होना चाहिए, हर समय इस बात को ध्यान में रखते हुए कि प्रकटीकरण भी एक महत्वपूर्ण कार्य करता है।

लोक हित का पहलू "।

12. हम रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड बनाम रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के मामले में निर्णय से निम्नलिखित अवलोकन का भी उल्लेख कर सकते हैं। मालिकों

इंडियन एक्सप्रेस अखबार, बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड और अन्य 3: ..... हमें यह याद रखना चाहिए कि बड़े पैमाने पर लोगों को जानने का अधिकार है ताकि वे भागीदारी में भाग ले सकें।

औद्योगिक जीवन और लोकतंत्र में विकास। जानने का अधिकार एक बुनियादी अधिकार है जो एक स्वतंत्र देश के नागरिक हमारे देश में इस युग में जीने के अधिकार के व्यापक क्षितिज में चाहते हैं।

1 (1975) 4 एस. सी. सी. 428

2 (1981) पूरक एस. सी. सी. 87 3 (1988) 4 एस. सी. सी 592 [2019] 2 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत भूमि। यह अधिकार नए आयामों और तात्कालिकता तक पहुँच गया है। यह अधिकार अधिक अधिकार देता है।

उन लोगों पर जिम्मेदारी जो सूचित करने की जिम्मेदारी लेते हैं।

13. भारत संघ और एक अन्य बनाम लोकतांत्रिक सुधार संघ 4 में, इस न्यायालय ने यह घोषणा करते हुए कि संसद या राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की संपत्ति और देनदारियों को जानना अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा है, निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां भी कीं:

" लोकतंत्र में सूचना प्राप्त करने के अधिकार को पूरे समय मान्यता प्राप्त है और यह लोकतंत्र की अवधारणा से बहने वाला स्वाभाविक अधिकार है।

देश के नागरिक। आर. टी. आई. अधिनियम के बाद भी यह न्यायालय सूचना के अधिकार के महत्व पर जोर देता रहा है। हम उपयोगी रूप से भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भारतीय रिजर्व बैंक बनाम भारतीय रिजर्व बैंक बनाम

और सरकार में जवाबदेही को बढ़ावा देता है। यह 'खुले शासन' के लिए एक स्थिति पैदा करता है जो लोकतंत्र की नींव है।

$ (2016) 3 एस. सी. सी. 525 अंजलि भारद्वाज और ओ. आर. एस. बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

उद्योग समाज से लेकर ज्ञान आधारित समाज तक। अगर हम वापस जाते हैं समय की शुरुआत कृषि और पूरी मानव जाति का प्रमुख स्रोत थी।

यह कृषि पर आधारित था। 350 वर्षों पहले भाप इंजनों के आविष्कार के साथ औद्योगिक युग आया और अब हम जिस तीसरी विशाल लहर से गुजर रहे हैं, वह औद्योगिक युग से कहीं अधिक शक्तिशाली है। एक युग जो ज्ञान पर आधारित है। आज के समय में ज्ञान कई स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है। डिजिटल युग में, यह ऑनलाइन उपलब्ध है। चूँकि ज्ञान शक्ति है, इसलिए किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त करना भी उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है। 15 अक्टूबर 2006 को आयोजित सूचना के अधिकार पर राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन भाषण में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने निम्नलिखित प्रासंगिक टिप्पणियां कीं:

" हम सूचना के युग में रहते हैं, जिसमें मुक्त प्रवाह होता है।

सूचना और विचारों की गति निर्धारित करती है

लोगों का विकास और कल्याण। द. अतः आर. टी. आई. अधिनियम का कार्यान्वयन महत्वपूर्ण है।

एक प्रबुद्ध और विकास के निर्माण के लिए हमारी खोज में मील का पत्थर

साथ ही, एक समृद्ध समाज। इसलिए,

सूचना के अधिकार का प्रयोग नहीं किया जा सकता है

केवल कुछ ही लोगों का विशेषाधिकार "।

16. सूचना व्यवस्था और विकास के बीच संबंध को संक्षिप्त रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री एम. एम. अंसारी द्वारा लाया गया है। सूचना आयुक्त, निम्नलिखित तरीके से:

" सूचना का अधिकार (आर. टी. आई.) का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जाता है

सहभागी विकास को बढ़ावा देना, सुदृढ़ीकरण

लोकतांत्रिक शासन और प्रभावी वितरण की सुविधा प्रदान करना

जिन लोगों के पास जानकारी तक पहुंच है और जो समझते हैं कि प्रक्रियाओं में अर्जित जानकारी का उपयोग कैसे किया जाए अपने राजनीतिक, आर्थिक और कानूनी अधिकारों का प्रयोग करने के लिए सशक्त बनें, जो बदले में उन्हें अपनी ताकत का निर्माण करने में सक्षम बनाता है

और परिसंपत्तियाँ, ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके।

इसे ध्यान में रखते हुए, लगभग हर समाज ने सूचना और विचारों के मुक्त प्रवाह के लिए तंत्र स्थापित करके ज्ञान संसाधनों के लोकतंत्रीकरण के प्रयास किए हैं ताकि लोग बिना मांगे उन तक पहुंच सकें। इस प्रकार लोगों को भागीदारी के लिए उचित विकल्प चुनने का अधिकार है।

विकास प्रक्रिया में। प्रिंट मीडिया, रेडियो और टेलीविजन के साथ-साथ इंटरनेट जैसी संचार प्रौद्योगिकियों के उपयोग के माध्यम से सूचना और ज्ञान के प्रसार के लिए अब तक किए गए प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं। उदाहरण के लिए, खेती की नई तकनीकों, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पर्यावरण क्षरण के खतरों, अवसरों के बारे में जानकारी साझा करना।

सीखने और कमाई के लिए, लैंगिक पूर्वाग्रहों का मुकाबला करने के लिए कानूनी उपायों आदि ने गरीब लोगों की भलाई में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

17. श्री अंसारी ने उपरोक्त लेख में कुशलता से प्रदर्शन किया है।

आई का उपयोग एक उपकरण के रूप में किया जा सकता है, दूसरों के बीच, इसके लिए:

(क) सामाजिक-आर्थिक सेवाओं के प्रभावी वितरण की सुविधा प्रदान करना।

जिससे गरीबी उन्मूलन हो सकता है;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली जैसी सब्सिडी वाली योजनाओं के तहत सेवाओं का उचित और प्रभावी वितरण हो। और गरीबों के लिए आश्रय;

((घ) सहभागी शासन को बढ़ावा देना।

(ई) कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण; और (च) पर्यावरण संरक्षण में सहायता करना।

18. सूचना के अधिकार और अतिचार के बीच एक निश्चित संबंध है। वास्तव में, आर. टी. आई. अधिनियम स्वयं अच्छे उद्देश्य पर जोर देता है और यह मानता है कि यह उन उद्देश्यों में से एक है जिन्हें उक्त व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। आर. टी. आई. अधिनियम से पता चलेगा कि चार प्रमुख

सुशासन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उद्देश्य इस प्रकार हैं: ((i) सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में अधिक पारदर्शिता;

(ii) निर्णय लेने की प्रक्रिया में नागरिकों और सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए सूचित नागरिक; अंजली भारद्वाज और ओआरएस v.

((ग) सरकार की जवाबदेही और निष्पादन में सुधार; और

((iv) सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार में कमी।

19. इसलिए सूचना का अधिकार न केवल नागरिकों का संवैधानिक अधिकार है, बल्कि अब आर. टी. आई. अधिनियम के रूप में एक कानून है।

जो लोगों को सूचना के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करने और सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के लिए एक कानूनी व्यवस्था प्रदान करता है। अधिनियम की प्रस्तावना इस लोकतांत्रिक अधिकार के महत्व को दर्शाती है जो इस प्रकार है:

" ..... लोकतंत्र के लिए एक जागरूक नागरिक की आवश्यकता होती है और

सूचना की पारदर्शिता जो इसके कामकाज के लिए और भ्रष्टाचार को रोकने और सरकारों को बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है और उनके साधन शासित लोगों के प्रति जवाबदेह हैं।

20. इस आर. टी. आई. अधिनियम में विभिन्न प्रावधान हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए शामिल किए गए हैं कि सूचना का अधिकार एक वास्तविकता बन जाए। यह एक स्व-निहित कानून है, जो इस संबंध में एक व्यापक ढांचा प्रदान करता है। आर. टी. आई. अधिनियम के तहत, केंद्र (सी. आई. सी.) और सभी राज्यों (एस. आई. सी.) में उन व्यक्तियों की अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने के लिए सूचना आयोगों का गठन किया गया है जो सुरक्षित करने में असमर्थ रहे हैं। आर. टी. आई. अधिनियम के अनुसार जानकारी या आर. टी. आई. अधिनियम के उल्लंघन से व्यथित हैं। अध्याय III का शीर्षक 'केंद्रीय सूचना' है।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 12 से 14 वाले आयोग ने सी. आई. सी. के गठन, पद की अवधि और उससे संबंधित प्रावधानों को निर्धारित किया है।

प्रमुख और केंद्रीय सूचना की सेवा की शर्तें

आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को हटाने की प्रक्रिया और आधार। इसी प्रकार, 'राज्य सूचना आयोग' शीर्षक वाले अध्याय 4 में निम्नलिखित शामिल हैं -

धारा 15 से 17, एस. आई. सी. एस. के गठन, प्रमुख और राज्य सूचना आयुक्तों के पद की अवधि और सेवा की शर्तों और एस. आई. सी. एस. की प्रक्रिया और आधारों से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है।

मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को हटाना।

21. आर. टी. आई. अधिनियम के अनुसार, आयोगों में मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा और राज्यों में राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। सी. आई. सी. के संबंध में, ऐसा प्रावधान धारा 12 में निहित है जिसमें कहा गया है कि सी. आई. सी. में मुख्य सूचना आयुक्त [2019] 2 एस. सी. आर. शामिल होंगे।

और 'केंद्रीय सूचना आयुक्तों की ऐसी संख्या जो 10 से अधिक न हो जो आवश्यक समझी जाए'। इसी तरह, एस. आई. सी. के लिए प्रावधान शामिल है।

आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 15 (2) में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि 10 केंद्रीय सूचना आयुक्तों और राज्य सूचना आयुक्तों की एक अधिकतम सीमा है।

प्रत्येक राज्य के संबंध में क्रमशः आयुक्त। सी. आई. सी./एस. आई. सी. की इतनी संख्या काम के बोझ पर निर्भर करेगी क्योंकि उपयोग की जाने वाली अभिव्यक्ति 'जैसा आवश्यक समझा जाए' है। इसलिए सी. आई. सी./एस. आई. सी. एस. की आवश्यक संख्या इन आयोगों में से प्रत्येक में काम के बोझ पर निर्भर करेगी।

22. जहाँ तक सूचना प्राप्त करने से संबंधित प्रावधानों का संबंध है

सार्वजनिक प्राधिकरणों का संबंध है, वही अध्याय II में प्रदान किया गया है जिसमें धारा 3 से 11 शामिल हैं। धारा 3 घोषणा करती है कि सभी नागरिकों को इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन जानकारी का अधिकार होगा। धारा 4 प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण पर प्रावधान करने का दायित्व डालती है

जानकारी दी। सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने के लिए, इस धारा के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों पर विभिन्न दायित्व लगाए गए हैं। अवलोकन

इन दायित्वों को सूचीबद्ध करने वाली धारा 4 अपने आप में एक स्पष्ट संदेश है कि यह नागरिकों को सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से है। अनुभाग

4 आर. टी. आई. अधिनियम की धारा इस प्रकार हैः

" 4. सार्वजनिक प्राधिकरणों के दायित्व। — (1) प्रत्येक सार्वजनिक

प्राधिकरण करेगा

" (क) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित बनाए रखें।

तरीका और वह प्रपत्र जो सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है

एक उचित समय और विषय के भीतर कम्प्यूटरीकृत किया जाना है कम्प्यूटरीकृत और जुड़े हुए संसाधनों की उपलब्धता के लिए

विभिन्न प्रणालियों पर पूरे देश में एक नेटवर्क के माध्यम से

ताकि ऐसे अभिलेखों तक पहुंच सुगम हो सके। (ख) एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें

इस अधिनियम का अधिनियमन, (i) इसके संगठन के विवरण,

कार्य और कर्तव्य;

((ii) (1975) 4 एस. सी. सी. 4282 (1981) अनुपूरक एस. सी. सी. 87 ई. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;
((ग) निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया

प्रक्रिया, पर्यवेक्षण के चैनलों सहित और

उत्तरदायित्व;
((घ) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और

अभिलेख, जो उसके द्वारा या उसके नियंत्रण में रखे गए हैं या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किए जाते हैं; आर. डी. डब्ल्यू. ए. जे. और ओ. आर. एस. v.

(vi) उन दस्तावेजों की श्रेणियों का विवरण जो उसके पास हैं या उसके नियंत्रण में हैं; (vii) किसी भी व्यवस्था का विवरण जो इसके साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद है

(viii) बोर्डों, परिषदों का एक बयान, समितियाँ और अन्य निकाय जो दो या दो से अधिक व्यक्तियों से बने होते हैं जो इसके हिस्से के रूप में या इसके लिए गठित किए जाते हैं

कार्यक्रम, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है; (xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण;

(xiv) उपलब्ध जानकारी के संबंध में विवरण

(xv) जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या पढ़ने के कमरे के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है; (xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जाए, और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन किया जाए;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियां बनाते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें; [2019] 2 एस. सी. आर.

(घ) इसके प्रशासनिक या अर्ध-कारण बताएँ।

प्रभावित व्यक्तियों के लिए न्यायिक निर्णय।

(2) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास रहेगा कि वह उप-धारा (1) के खंड (बी) की आवश्यकताओं के अनुसार कदम उठाए ताकि स्वयं ही अधिक से अधिक जानकारी प्रदान की जा सके। विभिन्न माध्यमों से नियमित अंतराल पर जनता

इंटरनेट सहित संचार, ताकि जनता के पास न्यूनतम हो

जानकारी प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का उपयोग करें।

(3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक जानकारी - व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित किया जाता है जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

(4) सभी सामग्रियों को लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार के सबसे प्रभावी तरीके को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा और जानकारी आसानी से सुलभ होनी चाहिए, जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, मुफ्त में या माध्यम या प्रिंट लागत मूल्य की ऐसी कीमत पर उपलब्ध है जो निर्धारित की जाए। स्पष्टीकरण। उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" का अर्थ है

जनता को जानकारी देना या संप्रेषित करना

नोटिस बोर्ड, समाचार पत्र, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट या किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों के निरीक्षण सहित किसी भी अन्य माध्यम से।

23. आर. टी. आई. अधिनियम इन सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा जानकारी देने के लिए इन-हाउस तंत्र भी प्रदान करता है। इस उद्देश्य के लिए, प्रत्येक सार्वजनिक

प्राधिकरण से केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (संक्षेप में, 'सीपीआईओ') या राज्य लोक सूचना अधिकारियों (संक्षेप में, 'एसपीआईओ') के रूप में कई अधिकारियों को नामित करने की अपेक्षा की जाती है, जो इस अधिनियम के तहत जानकारी के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करते हैं। समय-सीमाएँ हैं

सेट जिसके दौरान सी. पी. आई. ओ. एस./एस. पी. आई. ओ. को जानकारी देनी होती है, अर्थात् जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर। इस अवधि के भीतर या तो जानकारी प्रदान की जानी है या अनुरोध को अस्वीकार किया जाना है। अस्वीकृति केवल अधिनियम की धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारण के लिए हो सकती है। धारा 7 की उप-धारा (8) भी सी. पी. आई. ओ. एस. या एस. पी. आई. ओ. एस. पर इस तरह की अस्वीकृति के कारण देने का दायित्व डालती है। अस्वीकृति आदेश में,

आवेदक को उस अवधि के बारे में भी सूचित किया जाना चाहिए जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ अपील को प्राथमिकता दी जा सकती है और साथ ही अपीलीय प्राधिकरण के विवरण भी दिए जाने चाहिए।

अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

24. यदि जानकारी प्रदान नहीं की जाती है और अनुरोध अस्वीकार कर दिया जाता है,

सी. आई. सी. या एस. आई. सी. के समक्ष अपील दायर की जा सकती है क्योंकि मामला अधिनियम की धारा 19 के तहत हो सकता है। अपीलों की सुनवाई के अलावा, कुछ और

सी. आई. सी. या एस. आई. सी. को भी शक्तियां दी जाती हैं और यही कारण है कि आर. टी. आई. अधिनियम के तहत प्रदान की गई पूरी योजना में इन संस्थानों का अस्तित्व अनिवार्य हो जाता है और वे आर. टी. आई. अधिनियम के सुचारू रूप से काम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। बेशक, कोई विशिष्ट अवधि निर्धारित नहीं है जिसके भीतर सी. आई. सी. या एस. आई. सी. को अपीलों और शिकायतकर्ताओं का निपटान करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, प्रावधानों की भावना के अनुसार, सी. पी. आई. ओ. एस./एस. पी. आई. ओ. एस. को जानकारी प्रदान करने या कारणों के साथ आवेदन को अस्वीकार करने के लिए 30 दिनों की बाहरी सीमा देते हुए, यह उम्मीद की जाती है कि सी. आई. सी. या एस. आई. सी. एस. कम से कम समय के भीतर अपील/शिकायतों का फैसला करेंगे, जो आम तौर पर शिकायत की सेवा या विपरीत पक्ष को अपील करने की तारीख से कुछ महीने होने चाहिए। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सी. आई. सी./एस. सी. आई. सी. के साथ-साथ पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्त होना आवश्यक है। यह अनिवार्य रूप से इस प्रकार है कि यदि सी. आई. सी. के पास आवश्यक संख्या के साथ मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त नहीं हैं, तो यह अधिनियम के कामकाज को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है जो इसके उद्देश्य को नकारने के बराबर भी हो सकता है। जो यह अधिनियम लागू हुआ। यही बात एस. आई. सी. पर भी लागू होती है।

25. यह उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में है कि याचिकाकर्ताओं का कहना है

सूचना आयोगों में रिक्तियों की घटना, जो समय पर नहीं भरी जाती हैं, भारी बैकलॉग और अपीलों/शिकायतों के निपटारे के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करने का कारण बन रही है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि आर. टी. आई. अधिनियम एक समयबद्ध कानून है और आवेदन की तारीख (आमतौर पर 30 दिन) से जानकारी प्रदान करने के लिए वैधानिक समय सीमा निर्धारित करता है। यदि जानकारी नहीं दी जाती है, या आवेदक प्राप्त प्रतिक्रिया की प्रकृति से व्यथित है, तो वह नामित प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के साथ पहली अपील दायर करने का भी हकदार है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण इस तरह की अपील का अधिकतम दायरे में निपटारा करने के लिए बाध्य है। 45 दिनों की अवधि। आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 7 और 19 को पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 में गारंटीकृत सूचना के मौलिक अधिकार का प्रभावी ढंग से प्रयोग करने के लिए एक समयबद्ध कानून है।

भारत का संविधान। 26. हालांकि, सी. आई. सी. और एस. आई. सी. जो आर. टी. आई. अधिनियम के तहत अंतिम अपीलीय प्राधिकरण हैं, और अधिनियम के संरक्षक हैं

पूरे भारत में सूचना आयोगों में बड़ी संख्या में रिक्तियों के कारण लंबित अपीलों/शिकायतों के संचय के कारण अपीलों और शिकायतों पर निर्णय लेने में कई महीने और कुछ मामलों में साल भी लग जाते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

27. याचिकाकर्ता मार्च, 2018 में प्रकाशित एक रिपोर्ट का उल्लेख करते हैं, जिसका शीर्षक है 'सूचना आयोगों के प्रदर्शन पर रिपोर्ट कार्ड'।

और कानून के जटिल प्रश्नों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष पीठों के गठन पर निर्णय लेने के लिए मुख्य सूचना आयुक्त की शक्ति के संबंध में इस न्यायालय के निर्देशों का पालन करने की क्षमता सहित इसके सुचारू कामकाज में बाधा डालना। याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि सूचना आयोगों में रिक्तियों को समय पर नहीं भरने से केंद्र और राज्य सरकारें आर. टी. आई. अधिनियम के उद्देश्य को विफल कर रही हैं क्योंकि समयबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना कानून का सार है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि इस तरह से देश भर में सी. आई. सी. और विभिन्न एस. आई. सी. में आयुक्तों की नियुक्ति न होने से सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी प्राप्त करने के नागरिकों के मौलिक अधिकार में बाधा आ रही है। 28. याचिकाकर्ताओं की उपरोक्त दलीलों का परीक्षण करने के लिए, अब हम प्रत्येक सूचना आयोग में स्थिति की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं:

केंद्रीय सूचना आयोग (सी. आई. सी.) 29. याचिका में यह कहा गया है कि याचिका दायर करने की तारीख तक सूचना आयुक्तों के 04 पद खाली पड़े थे।

सीआईसी। 4 अप्रैल, 2018 तक इसके समक्ष 23,500 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित थीं। सी. आई. सी. की वेबसाइट से पता चलता है कि वर्ष 2016 में दायर अपील और शिकायतें भी वर्तमान में आयोग द्वारा निपटारे के लिए लंबित हैं। याचिकाकर्ताओं ने आगे उल्लेख किया कि हालांकि सभी 04 रिक्तियां सूचना आयुक्तों की सेवानिवृत्ति पर और उनके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति पर या 65 साल की उम्र प्राप्त करने पर नियमित रूप से उत्पन्न हुईं, जो तथ्य केंद्र को पता था

सरकार बहुत पहले से, लेकिन इन रिक्तियों को भरने के लिए समय पर कोई कदम नहीं उठाया गया। पहली रिक्ति याचिका दायर करने से 15 महीने से अधिक समय पहले हुई थी। यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार ने दिसंबर, 2016 और फरवरी, 2017 में होने वाली रिक्तियों की प्रत्याशा में 2 सितंबर, 2016 को परिपत्र/संचार के माध्यम से दो सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। इस ओर से याचिकाकर्ताओं द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर भी ध्यान नहीं दिया गया है।

ली भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]30. याचिका में आदेश पारित किए गए थे कि प्रतिवादी को इन नियमों को भरने के लिए उठाए गए कदमों की स्थिति रिपोर्ट देनी चाहिए। 13 दिसंबर, 2018 को निम्नलिखित में एक और आदेश पारित किया गया थाः

" भारत संघ ने दिनांक 12.12.2018 पर हलफनामा दायर किया है।

प्रमुख के पद पर नियुक्तियों की स्थिति का उल्लेख करना

सूचना आयुक्त के साथ-साथ सूचना आयुक्त।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा है कि जहां तक मुख्य सूचना आयुक्त के पद का संबंध है, विज्ञापन के अनुसार 64 आवेदन प्राप्त हुए थे। यह भी सूचित किया जाता है कि जहां तक सूचना आयुक्तों के पदों का संबंध है, 4 पदों का विज्ञापन किया जाता है और 280 आवेदन प्राप्त हुए। यह उल्लेख किया गया है कि

विज्ञापन कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था।

सूचना अधिनियम, 2005 ने 11.12.2018 पर एक बैठक आयोजित की, जिस तारीख को मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सिफारिश को अंतिम रूप दिया गया है और यह है उम्मीद है कि व्यक्ति को जल्द ही नियुक्त किया जाएगा। जहाँ तक

सूचना आयुक्तों के पद संबंधित हैं, जिनके पास बड़ी संख्या में आवेदनों के संबंध में, उस दिन प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी। बार में आगे कहा गया है कि

इसे भी जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा।

हमें सूचित किया जाता है कि सूचना के तीन और पद

आयुक्त खाली पड़े हैं। इन पदों को भरने की प्रक्रिया भी जारी करके शुरू करना उचित होगा।

जल्द से जल्द एक विज्ञापन। श्री प्रशांत भूषण, विद्वान वकील

याचिकाकर्ता, प्रस्तुत करते हैं कि विज्ञापन का अनुच्छेद 5

मुख्य सूचना आयुक्त के पद के लिए निम्नानुसार हैः मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें निम्नानुसार होंगी -

चयनित उम्मीदवार की नियुक्ति का समय। उनका कहना है कि आर. टी. आई. अधिनियम में वेतन, भत्तों का उल्लेख है। और मुख्य सूचना आयुक्त के अन्य कार्यकाल [2019] 2 एस. सी. आर. होंगे।

नियुक्त किया गया और शर्त अस्पष्ट शब्दों में नहीं हो सकती थी जैसा कि वहां कहा गया है। यह वह पहलू है जिस पर विचार किया जाएगा

सुनवाई की अगली तारीख। वह आगे प्रस्तुत करता है कि सूचना आयुक्तों से संबंधित विज्ञापन में इसी तरह का खंड रखा गया है। सुनवाई की अगली तारीख पर इस पहलू पर भी विचार किया जाएगा।

हालांकि, हम विद्वान के बयान को रिकॉर्ड पर ले सकते हैं

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आर. टी. आई. अधिनियम स्वयं उन नियमों और शर्तों का उल्लेख करता है जिन पर मुख्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

केन्द्र में आयुक्त और सूचना आयुक्त सूचना आयोग बनाया जाना है।

उत्तरदाता वेबसाइट पर खोज के नाम डालेंगे।

समिति, उन उम्मीदवारों के नाम जो हो चुके हैं

चयन के लिए चुने गए मानदंडों के साथ-साथ उनका पालन किया जाता है। हम फिर से विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का बयान दर्ज कर सकते हैं कि चयन मानदंड आर. टी. आई. अधिनियम में निर्धारित है।

कर्नाटक काः कर्नाटक राज्य की ओर से दायर हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सूचना आयुक्त ("एस. आई. ओ".) की केवल एक रिक्ति है जिसका विज्ञापन किया गया है। हालांकि, इस बीच कर्नाटक उच्च न्यायालय ने नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी है।

सी ऑफ महाराष्ट्रः

महाराष्ट्र राज्य की ओर से दायर हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त ("एससीआईसी") का पद पहले ही भरा जा चुका है। यह भी कहा गया है कि एक राज्य सूचना के पद को भरने के लिए कदम उठाए गए हैं

आयुक्त ("एस. आई. सी".) और वह जल्द ही होगा। यह भी कहा गया है कि एस. आई. सी. के दो पद गिर गए हैं।

इन दोनों पदों के संबंध में विज्ञापन के माध्यम से पदों को भरने की प्रक्रिया सकारात्मक रूप से शुरू की जाएगी चार सप्ताह के भीतर।

वे वेबसाइट पर भी विवरण का खुलासा करेंगे।

भारत संघ के मामले में निर्देशित समान रेखाएँ।

ई ऑफ वेस्ट बंगालः पश्चिम बंगाल राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि एस. सी. आई. सी. को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। वह आगे कहती है कि ली भारद्वाज और ओआरएस बनाम।

भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

एक एस. आई. सी. पहले से ही है और एक और एस. आई. सी. नियुक्त किया गया है। इस तरह, अब तक, एक एस. सी. आई. सी. और दो एस. आई. सी. इस पद पर हैं। आर. टी. आई. अधिनियम के अनुसार दस एस. आई. सी. नियुक्त किए जा सकते हैं। हम इस बारे में निश्चित नहीं हैं कि क्या पूरा काम केवल एक एस. सी. आई. सी. और दो एस. आई. सी. द्वारा किया जा सकता है।

आंध्र प्रदेश काः आंध्र प्रदेश राज्य के विद्वान वकील ने 12.12.2018 दिनांकित शपथ पत्र सौंपा है। इस हलफनामे के अनुसार, तीन व्यक्तियों को एस. आई. सी. के रूप में नियुक्त किया जाता है। यह भी कहा गया है कि हालांकि एस. सी. आई. सी. के पद का विज्ञापन भी दिया गया था लेकिन किसी को भी नियुक्त नहीं किया जा सका और इस संबंध में नया विज्ञापन जारी करने का निर्णय नहीं लिया गया है। जहाँ तक एस. सी. आई. सी. का संबंध है, उन्होंने उल्लेख किया है कि

विज्ञापन 24.08.2018 पर जारी किया गया था और आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.10.2018 तक बढ़ा दी गई थी। इकतीस आवेदन प्राप्त हुए हैं और जल्द ही चयन समिति की बैठक आयोजित करने का प्रस्ताव है। हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की बैठक जल्द से जल्द होगी और एक महीने के भीतर एससीआईसी की भी नियुक्ति की जाएगी।

यह भी कहा गया है कि इस बीच, श्री एम. रवि कुमार, जो एस. आई. सी. के रूप में काम कर रहे हैं, को एस. सी. आई. सी. के पद के लिए प्रभारी के रूप में रखा गया है ताकि आयोग कार्य कर सके।

सूचीबद्ध करने की अगली तारीख से पहले पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में दिए गए निर्देश के अनुरूप एक शपथ पत्र भी दाखिल किया जाएगा। वे वेबसाइट पर भी उसी तर्ज पर विवरण का खुलासा करेंगे जैसा कि भारत संघ के मामले में निर्देश दिया गया था। तेलंगाना काः जहां तक तेलंगाना राज्य का संबंध है, सुनवाई की अंतिम तिथि पर इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन में हलफनामा दायर नहीं किया गया है। विद्वान वकील का कहना है कि यह इस कारण से था कि विधानसभा के चुनाव हुए थे जो समाप्त हुए और परिणाम केवल 11.12.2018 पर आए।

इसलिए वह याचिका दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय चाहता है और उसे अनुमति दी जाती है।

शपथ पत्र।

पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं और कितने पदों को भरने की आवश्यकता होती है। यदि तेलंगाना राज्य ने एस. आई. ओ. के दस पदों को नहीं भरने का निर्णय लिया है, तो औचित्य पश्चिम बंगाल राज्य के संबंध में जिस तरह से निर्देश दिया गया है, उसी तरीके से जानकारी का खुलासा करते हुए एक शपथ पत्र के रूप में प्रदान किया जाएगा।

ओडीशा कीः

ओडिशा राज्य की ओर से दायर पहले के हलफनामे के अनुसार, राज्य ने एक एस. सी. आई. सी. और तीन एस. आई. सी. के साथ सूचना आयोग का संचालन करने का निर्णय लिया है। यह कहा गया है कि एस. सी. आई. सी. और दो एस. आई. सी. पहले से ही काम कर रहे हैं और एस. आई. सी. का एक पद है जिसके लिए बहुत जल्द विज्ञापन जारी किया जाएगा।

विद्वान वकील श्री प्रशांत भूषण प्रस्तुत करते हैं कि ओडिशा राज्य में सूचना आयोग के समक्ष भारी बकाया है और केवल तीन सूचना होने का कोई औचित्य नहीं है

आयुक्त। ओडिशा राज्य भी उसी तर्ज पर एक हलफनामा दायर करेगा जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य के मामले में निर्देश दिया गया था। वे वेबसाइट पर चयन आदि के विवरण का भी उसी तर्ज पर खुलासा करेंगे जैसा कि निर्देश में दिया गया है।

भारत संघ का मामला।

सी ऑफ गुजरातः गुजरात राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि उन्हें राज्य से केवल दो दिन पहले ही जानकारी मिली है और वह

एक सप्ताह के भीतर शपथ पत्र दाखिल किया जाएगा। हालाँकि, वह मौखिक रूप से सूचित करती है कि प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुजरात राज्य में सूचना आयोग में एक एससीआईसी और चार एसआईसी शामिल हैं। वह आगे प्रस्तुत करती है कि एस. सी. आई. सी. और एक एस. आई. सी. काम कर रहे हैं। एस. आई. सी. के पद के लिए तीन रिक्तियों का विज्ञापन पहले ही दिया जा चुका है और प्रक्रिया जारी है। उनके अनुसार,

आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और लंबित हैं

चयन समिति।

हम उम्मीद करते हैं कि चयन समिति इस प्रक्रिया को पूरा करेगी।

अधिमानतः सुनवाई की अगली तारीख से पहले।

ली भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

वे वेबसाइट पर चयन आदि के विवरण का भी उसी तर्ज पर खुलासा करेंगे जैसा कि भारत संघ के मामले में निर्देश दिया गया था।

सी ऑफ केरलाः

केरल उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाओं के लंबित होने के कारण भरा गया। मामले को 22.01.2019 पर सूचीबद्ध करें।

31. उपरोक्त निर्देश के अनुसार, भारत संघ ने मामले की सुनवाई के समय 29 जनवरी, 2019 को रिपोर्ट दाखिल की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चयन मानदंड टी में ही निर्धारित किया गया है जिसका पालन किया जा रहा है, जिसमें शर्तों का भी उल्लेख है

जिन शर्तों पर प्रत्येक मुख्य सूचना की नियुक्ति की जाती है

सी. आई. सी. में निर्गमकर्ता और सूचना आयुक्त बनाए जाने हैं। बोर्ट ने आगे निम्नलिखित रिकॉर्ड किए:

" 2. मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित फाइलें (एफ. 4/13/201-आईआर) और जानकारी

केंद्रीय सूचना में आयुक्त (F.No.4/9/2018-IR)

आयोग को डीओपीटी की वेबसाइट पर डाल दिया गया है

(डोप्ट। गव. आर. टी. आई. में/सक्रिय-सूचना का प्रकटीकरण/चयन आयुक्त) आवेदकों की व्यक्तिगत जानकारी को छोड़कर जिसे सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1) (जे) के तहत छूट दी गई है। इन फाइलों में आवेदकों की एक सूची है,

खोज समिति के सदस्यों के नाम, खोज समिति के लिए एजेंडा, खोज समिति के कार्यवृत्त। मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त की नियुक्ति को अधिसूचित करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां

केंद्रीय सूचना में सूचना आयुक्त आयुक्त को अधिकार टी के अनुसार विनियमित किया जाएगा

नवनियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त। धारा 12 (3) की फोटोकॉपी

सूचना का अधिकार अधिनियम संलग्न है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. 4 सूचना के संबंध में विज्ञापन

केंद्रीय सूचना आयोग में आयुक्तों को वर्तमान रिक्तियों के खिलाफ वेबसाइट पर अपलोड किया गया है

उसी के लिए आवेदन 25.01.2019 है। विज्ञापन यह 4 प्रमुख समाचार पत्रों-द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया (अंग्रेजी में), 'डाइनिंग भास्कर' और 'हिंदुस्तान' (हिंदी में) और पूरे भारत में उनके संस्करणों में प्रकाशित हुआ है।

आउटरीच एंड कम्युनिकेशन का ब्यूरो।

32. उपरोक्त रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ नियुक्तियां की गई हैं। उसी समय, 4 के संबंध में नियुक्ति प्रक्रिया

सी. आई. सी. में सूचना आयुक्तों की शुरुआत की गई है। इस पृष्ठभूमि में, याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा जिन तीन पहलुओं पर तर्क दिए गए थे और जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे निम्नलिखित हैंः

(क) रिक्तियों को समय पर भरना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सूचना आयुक्तों का काम प्रभावित न हो।
(ख) नियुक्तियों के तरीके में पारदर्शिता।

(ग) जिन नियमों और शर्तों पर ये नियुक्तियां की जानी हैं, उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए।

33. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता पहले से की गई नियुक्तियों को चुनौती नहीं दे रहे थे।

हालांकि, वे पारदर्शिता और जानकारी का पूर्ण प्रकटीकरण चाहते हैं चित्रणः (क) ऐसी नियुक्तियों के लिए निश्चित मानदंड, (ख) और ऐसे मानदंडों को पहले से ही सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

34. याचिकाकर्ता अपनी दलीलों में सही हैं कि

इन रिक्तियों को भरने में अनुचित देरी हुई। हम उम्मीद करते हैं कि रिक्तियों को भविष्य में समय पर भरा जाएगा। इस संबंध में कुछ निर्देश, जो आवश्यक हैं, इस निर्णय के अंत में दिए गए हैं। 35. जहां तक प्रक्रिया की पारदर्शिता का संबंध है, स्थिति रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रक्रिया अब पर्याप्त रूप से पारदर्शी है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इन पदों के लिए आवेदकों के नामों के संबंध में वेबसाइट पर जानकारी दी है।

खोज समिति के सदस्यों के नाम, खोज समिति के लिए एजेंडा, खोज समिति के कार्यवृत्त आदि। इस स्तर पर यह बताना उचित होगा कि खोज समिति द्वारा अपनी सिफारिशें भेजने के बाद चयन समिति को अंतिम चयन करना होगा। चयन समिति की संरचना अधिनियम की धारा 12 (3) में प्रदान की गई है जिसमें शामिल हैंः

अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

((i) प्रधानमंत्री, जो इसके अध्यक्ष होंगे।

समिति;

((ii) लोकसभा में विपक्ष का नेता;

प्रधानमंत्री।

इस प्रकार, सांविधिक समिति में बहुत उच्च पद होते हैं।

लोग।

36. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, यह नहीं कहा जा सकता है कि

नियुक्ति प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं, जब सभी आवश्यक जानकारी

प्रत्येक उम्मीदवार के संबंध में बड़े पैमाने पर जनता के लिए उपलब्ध कराया जाता है। खोज समिति के सदस्यों के संबंध में जानकारी, उनकी बैठकों का एजेंडा और यहां तक कि खोज समिति के कार्यवृत्त को भी वेबसाइट पर डाल दिया गया है। अंततः की गई नियुक्तियाँ भी सार्वजनिक क्षेत्र में हैं।

37. इस तरह से हालांकि कोई इस प्रक्रिया में दोष नहीं पा सकता है

नियुक्ति, फिर भी एक पहलू है जिसे उजागर करने की आवश्यकता है।

38. आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 12 (5) पात्रता निर्धारित करती है।

मुख्य सूचना आयुक्त के साथ-साथ सूचना आयुक्तों के लिए शर्तें। यह नीचे लिखा है:

" 12. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन।

XXX

XXX

XXX

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त

आयुक्त सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसमूह मीडिया या प्रशासन और शासन "।

39. जैसा कि देखा जा सकता है, सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ

कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव मुख्य सूचना आयुक्त बनने के लिए योग्य है या

सूचना आयुक्त। विधायिका ने अपने विवेक से विचार के क्षेत्र का विस्तार करते हुए इसे सेवारत या सेवानिवृत्त लोगों तक सीमित नहीं रखा।

सरकार

अकेले कर्मचारी। सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को पात्र बनाया जाता है। ज्ञान और अनुभव का क्षेत्र भी बहुत व्यापक हो गया है क्योंकि यह कानून या विज्ञान और प्रौद्योगिकी या समाज सेवा या प्रबंधन या पत्रकारिता या मास मीडिया या प्रशासन और शासन में हो सकता है। इस प्रकार, संसद का उद्देश्य था कि प्रतिष्ठित व्यक्ति सार्वजनिक जीवन को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में भी लिया जाना चाहिए

सूचना आयुक्त। उपरोक्त मानदंडों में फिट होने वाले कई व्यक्ति इन पदों के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालाँकि, एक अजीब घटना जो हम देखते हैं वह यह है कि जिन व्यक्तियों का चयन किया गया है, वे केवल एक ही श्रेणी से संबंधित हैं, अर्थात् लोक सेवा, यानी वे सरकारी कर्मचारी हैं। यह समझना मुश्किल है कि केवल एक श्रेणी से संबंधित व्यक्ति हमेशा अन्य श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की तुलना में अधिक सक्षम और अधिक उपयुक्त पाए जाते हैं। वास्तव में, खोज समिति भी जो व्यक्तियों को सूचीबद्ध करती है, केवल नौकरशाहों से बनी होती है। इन कारणों से, चयन प्रक्रिया में अपने स्वयं के वर्ग के पक्ष में आधिकारिक पूर्वाग्रह बहुत अधिक है।

आयुक्त। हालाँकि, इस बात पर जोर दिया जाता है कि जीवन के अन्य क्षेत्रों से भी समान रूप से उपयुक्त व्यक्ति हो सकते हैं जो ऐसे पदों के लिए इच्छुक हो सकते हैं। अतः यह न्यायालय खोज पर प्रभाव डालता है भविष्य में अन्य श्रेणियों से भी उपयुक्त उम्मीदवारों को चुनने के लिए समिति। आखिरकार, उपयुक्तता की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने का उद्देश्य अन्य वर्गों को भी प्रतिनिधित्व देकर सी. आई. सी. में सदस्यों को शामिल करना था। यह सी. आई. सी. की संरचना में व्यापक प्रतिनिधि चरित्र सुनिश्चित करेगा।

41. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने भी शिकायत की

कि सूचना आयुक्तों के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करते समय विज्ञापन में सेवा की कोई विशिष्ट शर्त निर्धारित नहीं की गई थी। हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि जहाँ तक वेतन और भत्तों के साथ-साथ नियुक्ति के नियमों और शर्तों का संबंध है जो धारा 13 की उप-धारा (5) में वैधानिक रूप से प्रदान किया गया है। यह उप-खंड निम्नानुसार हैः

" 13. पद की अवधि और सेवा की शर्तें।

XXX

XXX

XXX

(5) अन्य लोगों को देय वेतन और भत्ते

(क) मुख्य सूचना आयुक्त मुख्य चुनाव आयुक्त के समान होगा। (ख) एक सूचना आयुक्त वही होगा जो

एक चुनाव आयुक्त काः बशर्ते कि यदि प्रमुख

सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, पेंशन की प्राप्ति में है (अन्य)

किसी पूर्ववर्ती के संबंध में अक्षमता या घाव पेंशन से)

भारत सरकार के तहत या अंजलि भारद्वाज और ओ. आर. एस. के तहत सेवा।

भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

किसी राज्य की सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना अधिकारी के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन

आयुक्त को उस पेंशन की राशि से कम किया जाएगा, जिसमें पेंशन का कोई भी हिस्सा शामिल होगा जिसे परिवर्तित किया गया था और

सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य रूपों के बराबर पेंशन

सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़करः बशर्ते कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या

सूचना आयुक्त, यदि उनकी नियुक्ति के समय, किसी पूर्ववर्ती के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ की प्राप्ति में है।

किसी केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या सरकारी कंपनी द्वारा या उसके तहत स्थापित निगम में प्रदान की गई सेवा

केंद्र सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उनके वेतन को सेवानिवृत्ति लाभों के बराबर पेंशन की राशि से कम किया जाएगाः बशर्ते कि मुख्य सूचना अधिकारी के वेतन, भत्ते और सेवा की अन्य शर्तें आयुक्त और सूचना आयुक्तों को उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए अलग नहीं किया जाएगा।

पश्चिम बंगाल राज्य 43. डब्ल्यू. बी. एस. आई. सी. के संबंध में, याचिकाकर्ताओं की शिकायत है कि यह वर्तमान में केवल दो सूचना आयुक्तों के साथ काम कर रहा है। तब से

2015 , लगभग बारह महीनों की अवधि के लिए, यानी नवंबर 2015 से जुलाई 2016 तक और अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक, एस. आई. सी. काम नहीं कर रहा था और किसी भी अपील या शिकायत की सुनवाई नहीं करता था क्योंकि इस दौरान केवल एक सूचना आयुक्त था। यह भी कहा गया है कि 31 अक्टूबर 2017 तक 8000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित थीं और एस. आई. सी. द्वारा अपीलों और शिकायतों का निपटारा करने में अत्यधिक लंबा समय लग रहा है। 44. राज्य की ओर से दायर जवाब हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि पहले एस. आई. सी. एक एस. सी. आई. सी. और एक एस. सी. आई. सी. के साथ काम कर रहा था।

सूचना आयुक्त। 18 जुलाई 2018 को राज्य सरकार [2019] 2 एस. सी. आर.

एक और सूचना आयुक्त नियुक्त करने का निर्णय लिया। विज्ञापन इस संबंध में 3 अगस्त 2018 को प्रकाशित किया गया था। इसके बाद 6 अगस्त को

2018 सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। यह समिति 16 नवंबर 2018 को यह बैठक आयोजित की गई जिसमें नियत तिथि तक प्राप्त सभी 33 आवेदनों पर विचार किया गया और एक श्री राज कनौजिया, आई. पी. एस. (सेवानिवृत्त) को नियुक्त करने का संकल्प लिया गया और तब से उन्हें 22 नवंबर 2018 की अधिसूचना के माध्यम से नियुक्त किया गया है। उन्होंने कार्यभार संभाला है

19 दिसंबर 2018।

45. जहाँ तक अपीलों और शिकायतों के लंबित होने का संबंध है, यह उल्लेख किया गया है कि 1 जनवरी 2018 तक 8627 मामले लंबित थे।

डब्ल्यूबी एस. आई. सी. के समक्ष। इसके अलावा, जनवरी 2018 से नवंबर 2018 तक प्राप्त अपील और शिकायतें 1932 थीं। जनवरी से नवंबर 2018 तक निपटाई गई अपीलों और शिकायतों की संख्या 2879 है। इस प्रकार, नवंबर 2018 के अंत में, लंबित अपीलों और शिकायतों की संख्या घटकर 7680 रह गई है। 46. राज्य द्वारा दिए गए उपरोक्त आंकड़ों से पता चल सकता है कि विचाराधीनता में कमी आई है। हालाँकि, यह अभी भी बहुत अधिक है और इसकी दर

एट्रैशन धीरे-धीरे शांत होता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कई मामले हो सकते हैं

लंबे समय के बाद निर्णय लिया जाएगा। वास्तव में, याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ मामलों की सुनवाई और निपटारे में 10 साल से अधिक का समय लगा। इसलिए, एक एस. सी. आई. सी. और दो सूचना आयुक्तों की संख्या अपर्याप्त है और इसमें आवेदकों द्वारा जानकारी मांगने के उद्देश्य को विफल करने के लिए निविदा है। यह भी वैध रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि जब आवेदक अपनी अपीलों या शिकायतों का निपटारा न करने के कारण लंबे समय तक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होते हैं, तो उन्हें जानकारी लेने या अपने आर. टी. आई. आवेदनों को आगे बढ़ाने के लिए हतोत्साहित या हतोत्साहित किया जाता है।

47. सूचना के अधिकार के उद्देश्य की अनुमति नहीं दी जा सकती है

एस. आई. सी. में सूचना आयुक्तों की पूरी तरह से अपर्याप्त संख्या से निराश होना। आखिरकार, यह अधिनियम सरकार को एक एस. सी. आई. सी. और अधिकतम 10 सूचना आयुक्तों के साथ एस. आई. सी. बनाने में सक्षम बनाता है। इसलिए, पर्याप्त संख्या में जानकारी होना राज्य सरकार का वैधानिक और संवैधानिक दायित्व बन जाता है

इसलिए हमारी राय है कि राज्य सरकार को सूचना आयुक्तों के और पद बनाने पर तुरंत विचार करना चाहिए। हमारा सुझाव है कि कम से कम तीन और ऐसे पद बनाए जाने चाहिए।

अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

इस संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा एक महीने के भीतर लिया जाएगा और उसके बाद छह महीने के भीतर नव सृजित पदों को भरा जाएगा।

आंध्र प्रदेश राज्य

48. आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, याचिकाकर्ताओं ने रिट याचिका में कहा है कि राज्य के विभाजन के बाद

हैदराबाद ने निर्देश दिया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में सूचना आयोगों की स्थापना की जाए। आंध्र प्रदेश सरकार ने अगस्त 2017 में आंध्र प्रदेश के लिए एस. आई. सी. के गठन का आदेश जारी किया था, लेकिन आज तक आयोग में एक भी आयुक्त नियुक्त नहीं किया गया है। आंध्र प्रदेश राज्य का एस. आई. सी. अभी तक कार्यशील नहीं हुआ है। 10 महीनों से अधिक समय से, एपी एस. आई. सी. के अधिकार क्षेत्र के तहत सार्वजनिक प्राधिकरणों से जानकारी मांगने वाले लोगों को आर. टी. आई. अधिनियम के तहत निर्धारित स्वतंत्र अपीलीय तंत्र का कोई सहारा नहीं मिला है और उनके सूचना के अधिकार का उल्लंघन किया जाता है। 49. जवाब में, सरकारी जी. ए. (ए. आर.) विभाग, आंध्र प्रदेश सचिवालय के अतिरिक्त सचिव का हलफनामा दाखिल किया गया है जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि चयन समिति की दो बार बैठक हुई, यानी 13 दिसंबर 2017 और 12 जनवरी 2018 को। इसने सूचना आयुक्तों के पद पर नियुक्ति के लिए तीन उम्मीदवारों का चयन किया और अनुमोदन के लिए फाइल 6 अगस्त 2018 को आंध्र प्रदेश के राज्यपाल को भेजी गई, जिसकी वापसी की प्रतीक्षा है। यह शपथ पत्र 24 अगस्त 2018 का है। हमें सूचित किया जाता है कि इन तीन सूचना आयुक्तों को नियुक्त किया गया है।

50. हलफनामे में आगे कहा गया है कि एससीआईसी के पद को भरने के लिए आवेदनों का आह्वान करते हुए एक और अधिसूचना जारी की गई थी और

शेष सूचना आयुक्त। हालाँकि, यह उल्लेख नहीं किया गया है कि एससीआईसी और सूचना आयुक्तों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली यह अधिसूचना कब जारी की गई थी। यह भी समझ में नहीं आता है कि एस. सी. आई. सी. के पद को भरने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए क्योंकि प्रमुख, जो आयोग के प्रमुख हैं, एस. आई. सी. के कार्यों के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसार, एस. आई. सी. के मामलों का सामान्य पर्यवेक्षण, निर्देशन और प्रबंधन एस. सी. आई. सी. में निहित है। इसलिए, हमें एक धारणा मिलती है कि एक बहुत ही [2019] 2 एस. सी. आर.

इस पद को भरने में अभावपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया गया है और एपी एस. आई. सी. मई 2017 से लगभग गैर-कार्यात्मक है। हो सकता है कि हाल ही में नियुक्त किए गए तीन सूचना आयुक्तों के साथ, एपी एस. आई. सी. सक्रिय हो जाएगा, लेकिन सीमित सीमा तक। हालाँकि, यह शायद ही उद्देश्य को पूरा करता है और एस. आई. सी. को पूरी तरह से कार्यात्मक नहीं बनाता है।

51. इसलिए हम आंध्र प्रदेश राज्य से एससीआईसी के पद और सूचना के शेष पदों को भरने के लिए आग्रह करते हैं

इस निर्णय की तारीख से तीन महीने के भीतर जल्द से जल्द और किसी भी मामले में आयुक्त।

तेलंगाना राज्य

52. तेलंगाना राज्य द्वारा दायर हलफनामे में यह स्वीकार किया गया है कि 23 जनवरी 2019 तक 10102 अपीलें और शिकायतें लंबित थीं तेलंगाना एस. आई. सी. से पहले। इसका द्विभाजन भी किया गया है। हलफनामे में यह भी खुलासा किया गया है कि 23 अक्टूबर 2017 से 23 जनवरी के बीच

2019 , 64.50 % प्राप्त अपीलों/शिकायतों का निपटारा किया गया।

53. यह भी कहा गया है कि तेलंगाना एस. आई. सी. का गठन 13 सितंबर 2017 को किया गया था। एक मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य

सूचना आयुक्त को G.O.Ms के माध्यम से नियुक्त किया गया है। सं. 228 और G.O.Ms। सं. 227, दोनों दिनांक 15 सितंबर 2017। नियुक्ति

मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का गठन पारदर्शी तरीके से किया गया है

समिति G.O.Ms के माध्यम से। सं. 219, जी. ए. (जी. पी. एम. और ए. आर.) विभाग। दिनांक 13 सितंबर 2017 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के अध्यक्ष के रूप में,

मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य की नियुक्ति के लिए सदस्यों के रूप में विपक्ष के नेता और उप मुख्यमंत्री

तेलंगाना एस. आई. सी. में सूचना आयुक्त।

54. हम पाते हैं कि केवल एस. सी. आई. सी. और एक सूचना आयुक्त के साथ तेलंगाना एस. आई. सी. की संरचना बहुत अपर्याप्त है।

विचाराधीनता और मासिक/वार्षिक आधार पर दायर किए जाने वाले मामलों की संख्या भी। 6 सितंबर 2018 को तेलंगाना राज्य द्वारा दायर पहले के हलफनामे में कहा गया था कि 13 सितंबर 2017 को जब आयोग का गठन किया गया था, तब तक कुल 6825 मामले लंबित थे

मामले। 30 जून 2018 को यह आंकड़ा बढ़कर 9341 हो गया और 23 जनवरी 2019 तक यह बढ़कर 10,102 हो गया। ऐसे परिदृश्य में, यदि पर्याप्त संख्या में सूचना आयुक्त नियुक्त नहीं किए जाते हैं, तो

विचाराधीनता बढ़ती रहेगी और ढेर होती रहेगी। इसलिए हमें लगता है कि तेलंगाना एस. आई. सी. के उचित संचालन के लिए कम से कम चार होने चाहिए।

अभी के लिए और अधिक सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं।

यह अंजलि भारद्वाज और ओआरएस बनाम। भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

सुझाव पर विचार किया जा सकता है और इस संबंध में निर्णय लिया जाएगा।

राज्य सरकार द्वारा एक महीने के भीतर और नव सृजित पदों को इस निर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर भरा जाएगा। महाराष्ट्र राज्य

55. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, एमएएच एस. आई. सी. अप्रैल 2017 से एस. सी. आई. सी. के बिना काम कर रहा है और सूचना आयुक्तों में से एक है -

एस. सी. आई. सी. के रूप में अतिरिक्त शुल्क दिया गया। इसके अलावा, आयोग केवल 7 सूचना आयुक्तों के साथ काम कर रहा है। यह भी उल्लेख किया गया है कि फरवरी 2018 के अंत तक आयोग के समक्ष 40,000 से अधिक अपीलें और शिकायतें लंबित थीं।

56. जवाब में, राज्य सरकार ने उल्लेख किया है कि 8 स्वीकृत पद हैं, यानी 1 एससीआईसी और 7 सूचना आयुक्त। बाहर।

इनमें से तीन रिक्त पड़े हैं और ये क्रमशः 1 जून 2018,4 नवंबर 2018 और 10 नवंबर 2018 को खाली हुए थे। यह उल्लेख किया गया है कि रिक्तियों का उद्भव और चयन द्वारा नियुक्ति एक निरंतर प्रक्रिया है। चयन समिति की पिछली बैठक 30 नवंबर 2018 को हुई थी जिसमें नियुक्ति के लिए एक उम्मीदवार की सिफारिश की जा चुकी थी।

57. उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी राज्य ने फरवरी 2018 तक 40,000 अपीलों और शिकायतों के लंबित होने से इनकार नहीं किया है। यह भी नहीं

एस. आई. सी. द्वारा मामलों के निपटारे के बारे में कोई भी आंकड़ा दिया गया है। हालांकि यह उल्लेख किया गया है कि स्वीकृत संख्या केवल 8 है (और याचिकाकर्ताओं द्वारा तर्क के अनुसार 11 नहीं), आज तक, 2 सूचना आयुक्त पदों को भरा जाना है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये पद नवंबर 2018 में ही खाली हुए थे। हम उम्मीद करते हैं कि पहले से ही कदम उठाए जाएं ताकि ऐसे पद खाली होने के तुरंत बाद भरे जा सकें और वे लंबे समय तक खाली न रहें। इस संबंध में अंत में सामान्य निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा, विचाराधीनता को देखते हुए, जो कि बहुत बड़ी है, यह उचित होगा कि इस समय एस. आई. सी. में कुल 1 एस. सी. आई. सी. और 10 सूचना आयुक्त हों। इस सुझाव पर विचार किया जा सकता है और इस संबंध में निर्णय राज्य सरकार द्वारा एक महीने के भीतर लिया जाएगा और नव सृजित पदों को इस निर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर भरा जाएगा।

गुजरात राज्य

58. इस राज्य के संबंध में, याचिका में कहा गया है कि एससीआईसी जनवरी 2018 में सेवानिवृत्त हुआ और यह पद वर्तमान में खाली है। जवाब के हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि एस. सी. आई. सी. का पद भरा गया है और एक श्री डी. पी. ठाकर को नियुक्त किया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि [2019] 2 एस. सी. आर. हैं।

सूचना आयुक्तों के दो और रिक्त पद और इन्हें भरने के लिए दो रिक्तियों का विज्ञापन 19 मई 2018 को जारी किया गया था और आवेदन प्राप्त हो गए हैं। यह भी कहा गया है कि इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाएगा। हलफनामा 21 जनवरी 2019 को दाखिल किया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इन दोनों पदों को भी एक महीने के भीतर भर दिया जाएगा क्योंकि यह उल्लेख किया गया है कि प्राप्त आवेदन 11 जून 2018 को चयन समिति को प्रस्तुत किए गए थे।

केरल राज्य

59. केरल एस. आई. सी. के संबंध में याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह एकल आयुक्त यानी सी. एस. आई. सी. के साथ काम कर रहा है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि 21 अक्टूबर, 2017 तक लगभग 14,000 अपीलें और शिकायतें आयुक्त के पास लंबित थीं। 60. केरल राज्य की ओर से दायर किए गए जवाब के हलफनामे में, हालांकि, यह कहा गया है कि केरल एस. आई. सी. में एक सी. एस. आई. सी. और 5 जानकारी शामिल हैं।

आयुक्त। हालांकि, वर्तमान में केवल एक सी. एस. आई. सी. है। इसलिए सूचना आयुक्तों के 5 रिक्त पद खाली हैं। इस संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए 11 अक्टूबर, 2017 की अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें आवेदन आमंत्रित किए गए थे। जवाब में, 192 आवेदन प्राप्त हुए, चयन समिति ने इन पर विचार किया

आवेदनों और अंततः 4 सूचना आयुक्तों को 11 मई, 2018 को कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त किया गया था। हालाँकि, इस बीच, केरल उच्च न्यायालय में कुछ रिट याचिकाएँ दायर की गईं, जिसके कारण सूचना आयुक्त के शेष एक पद पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। हालाँकि, यह स्वीकार किया जाता है कि 31 जुलाई, 2018 तक आयोग के समक्ष 10582 अपीलें और 4155 शिकायतें लंबित थीं। इसे ध्यान में रखते हुए हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार भविष्य में आयोग में समय पर नियुक्ति सुनिश्चित करेगी।

कर्नाटक राज्य

61. कर्नाटक एस. आई. सी. 05 आयुक्तों के साथ काम कर रहा है, अर्थात्:

01 सी. एस. आई. सी. और 4 सूचना आयुक्त। 31 अक्टूबर, 2017 तक 33,000 अपीलें और शिकायतें लंबित थीं।

62. जवाबी हलफनामे में यह उल्लेख किया गया है कि सी. एस. आई. सी. और 2 सूचना आयुक्तों के पदों को भरने के लिए अधिसूचना थी 7 अगस्त, 2018 को जारी किया गया, जिसके खिलाफ 419 आवेदन प्राप्त हुए हैं। यह भी कहा गया है कि आर. टी. आई. अधिनियम की धारा 15 के तहत गठित चयन समिति की बैठक का इंतजार है। यह हलफनामा 8 दिसंबर, 2018 को दाखिल किया गया था। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 22 सितंबर, 2018 थी। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदनों की प्राप्ति के बाद, अंजली भारद्वाज और ओ. आर. एस. v.

भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

तीन महीने तक कुछ नहीं हुआ। इन परिस्थितियों में, हम चयन समिति से चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहते हैं ताकि आज से दो महीने के भीतर पदों को भरा जा सके।

63. इसके अलावा, कर्नाटक सूचना आयोग के समक्ष शिकायतों और अपीलों के चिंताजनक लंबित होने को ध्यान में रखते हुए

आयोग, सूचना आयुक्त की संख्या बढ़ाने पर विचार करना उचित होगा। हमारे विचार में, आयोग को पूरी ताकत के साथ काम करने की आवश्यकता है, अर्थात् 1 सी. एस. आई. सी. और 10 सूचना आयुक्त और हम तदनुसार अनुशंसा करते हैं। इस सिफारिश पर विचार किया जाए और उस पर एक महीने के भीतर निर्णय लिया जाए। इसके बाद, प्रक्रिया

इस निर्णय की तारीख से छह महीने के भीतर शुरू और पूरा किया जाना चाहिए।

ओडिशा राज्य

64. ओडिशा एस. आई. सी. याचिका दायर करने की तारीख तक प्रमुख सहित 3 आयुक्तों के साथ काम कर रहा था, जबकि अधिक

पदों को भरने के लिए गठित किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि उक्त पदों को दो महीने के भीतर भर दिया जाएगा। 65. जहां तक मामलों के लंबित होने का संबंध है, प्रत्यर्थी ने स्वीकार किया कि हलफनामा दाखिल करने की तारीख तक, यानी 18 जनवरी, 2019,1998 शिकायत मामले और 9764 अपीलें आयोग के समक्ष लंबित थीं। प्रत्यर्थियों ने शिकायत मामलों की रसीद और निपटान के साथ-साथ अपीलों वाला चार्ट भी दाखिल किया है। वर्ष 2018 में केवल 522 शिकायतों का निपटारा किया गया था। इसी तरह 2500 अपीलें

निकाल दिए गए। इससे पता चलता है कि अधिक सूचना आयुक्तों की आवश्यकता है और शुरुआत में सूचना आयुक्तों के कम से कम तीन और पदों का सृजन किया जाना चाहिए। इसलिए, हमारी राय है कि राज्य सरकार को तुरंत और अधिक बनाने पर विचार करना चाहिए। सूचना आयुक्तों के पद। इस संबंध में निर्णय [2019] 2 एस. सी. आर. होगा।

राज्य सरकार द्वारा एक महीने के भीतर लिया जाएगा और नव सृजित पदों को इस निर्णय की तारीख से चार महीने के भीतर भरा जाएगा।

नागालैंड राज्य

66. याचिकाकर्ताओं ने याचिका में कहा है कि नागालैंड एस. आई. सी. सितंबर, 2017 से एस. सी. आई. सी. के बिना काम कर रहा है। नहीं।

नागालैंड राज्य की ओर से जवाबी हलफनामा दायर किया जाता है। चूंकि याचिका में शिकायत केवल सी. एस. आई. सी. की गैर-नियुक्ति के बारे में है, इसलिए हम राज्य सरकार को उक्त पदों को भरने के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश देते हैं, ताकि आज से छह महीने के भीतर पदों को भरा जा सके।

सी. आई. सी. और एस. सी. आई. सी. के लिए सामान्य निर्देश

67. (i) जहां तक नियुक्ति में पारदर्शिता की बात है

सूचना आयुक्त संबंधित हैं, जिसके अनुसार इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्रीय

सरकार अब सभी आवश्यक जानकारी दे रही है। विज्ञापन जारी करना, रसीद और

वेबसाइट पर आवेदन, आवेदकों का विवरण, चयन समिति की संरचना आदि। सभी राज्य भी इस प्रणाली का पालन करेंगे।

((ii) जहां तक नियुक्ति के नियम और शर्तें हैं। आर. टी. आई. की धारा 13 (5) से संबंधित हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है

अधिनियम में कहा गया है कि सी. आई. सी. और सूचना

आयुक्तों की नियुक्ति उसी पर की जाएगी।

प्रमुख के लिए लागू नियम और शर्तें चुनाव आयुक्त/चुनाव आयुक्त।

साथ ही, यह भी उचित होगा यदि उक्त नियम और शर्तें जिन पर

नियुक्तियाँ विशेष रूप से की जानी हैं विज्ञापन में निर्धारित किया गया है और वेबसाइट पर भी डाला गया है।

(iii) इसी तरह, यह भी उचित होगा

के लिए मानदंड बनाने के लिए खोज समिति

उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शॉर्टलिस्टिंग वस्तुनिष्ठ और तर्कसंगत मानदंडों के आधार पर की गई है।
((iv) हम यह भी उम्मीद करते हैं कि सूचना आयुक्त

अन्य धाराओं से नियुक्त किए जाते हैं, जैसा कि में उल्लेख किया गया है

अधिनियम और चयन केवल इन तक ही सीमित नहीं है सरकारी कर्मचारी/पूर्व सरकारी कर्मचारी। इस संबंध में, उत्तरदाता आर. डी. डब्ल्यू. ए. जे. और ओ. आर. एस. v. को भी ध्यान में रखेंगे।

भारत और ओआरएस का संघ [ए. के. सिकरी, जे.]

भारत बनाम नमित शर्मा के मामले में इस न्यायालय द्वारा दिए गए निम्नलिखित निर्देश दें।

(iii) हम निर्देश देते हैं कि केवल सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति जिनके पास क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव हो। एस. एस. में उल्लिखित है। 12 (5) और अधिनियम के 15 (5) को सूचना के रूप में नियुक्ति के लिए माना जाए।

आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त।

(iv) हम आगे निर्देश देते हैं कि सार्वजनिक जीवन में सभी क्षेत्रों में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले प्रतिष्ठित व्यक्ति एस. एस. में उल्लिखित है। 12 (5) और अधिनियम के 15 (5), अर्थात्, कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन,

पत्रकारिता, जनसंचार माध्यम या प्रशासन और

शासन, जिसके तहत समितियों द्वारा विचार किया जाए

एसएस. 12 (3) और प्रमुख के रूप में नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 15 (3)

सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त।

(v) हम आगे निर्देश देते हैं कि एस. एस. के अधीन समितियाँ।

12 (3) और अधिनियम के 15 (3) को बनाते समय

आयुक्त और सूचना आयुक्तों को करना चाहिए प्रत्येक उम्मीदवार के नाम के सामने उल्लेख करें

उनकी श्रेष्ठता को इंगित करने के लिए तथ्यों की सिफारिश की गई

सार्वजनिक जीवन, विशेष क्षेत्र में उनका ज्ञान और विशेष क्षेत्र में उनका अनुभव और ये तथ्य आवश्यक हैं।

नागरिकों के लिए उनके अधिकार के हिस्से के रूप में सुलभ होना

बनाया गया "। (v) हम उत्तरदाताओं को भी प्रभावित करना चाहेंगे।

भविष्य में बिना किसी देरी के रिक्तियों को भरना। इस उद्देश्य के लिए, यह उचित होगा कि किसी विशेष रिक्ति को भरने की प्रक्रिया उस तारीख से 1 से 2 महीने पहले शुरू की जाए जिस दिन रिक्ति होने की संभावना है।

ताकि बीच में ज्यादा समय न लगे रिक्ति की घटना और उक्त रिक्ति को भरना।

68. हम रिकॉर्ड पर रखना चाहते हैं कि उपरोक्त निर्देश मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए दिए गए हैं जो आर. टी. आई. अधिनियम में उल्लिखित है।

सेवा करने के लिए। यह अधिनियम न केवल उप-सेवा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए अधिनियमित किया गया है। उचित कार्यान्वयन पर, इसमें सुशासन लाने की क्षमता है जो किसी भी जीवंत प्रदर्शन का एक अभिन्न अंग है सुशासन प्राप्त करना भी संविधान के दृष्टिकोण में से एक है इसका विकास के साथ भी महत्वपूर्ण संबंध है। इन सभी एस्पेक पर ऊपर प्रकाश डाला गया है।

69. रिट याचिका का निपटारा उपरोक्त टी में किया गया है, हालांकि, याचिकाकर्ताओं को याचिका दायर करने की स्वतंत्रता दी गई है।

फिर से, या तो इस याचिका में अंतर्वर्ती आवेदन दायर करने के माध्यम से एक और रिट याचिका को प्राथमिकता देते हुए, यदि अवसर की मांग है।